सं 2(3)/1/2007-एमएसएमई नीति (पार्ट)
भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय
'ए' - विंग, 7वां तल, निर्माण भवन
नई दिल्ली इ 110011

दिनांक: 1 अगस्त 2007

विषय: मध्यम उद्यमों द्वारा उद्यमी ज्ञापन दर्ज करना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के सेक्शन 8(1) में प्रावधान है कि प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये तक का निवेश करने वाला उद्योग, जिसने दिनांक 25 जुलाई 1991 की अधिसूचना सं. एस.ओ.477(इ) के अनुसरण में औद्योगिकी नीति एवं संवर्धन विभाग में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल किया हो, इस अधिनियम के आरंभ से 180 दिनों के भीतर संबंधित जिला उद्योग केंद्र में उद्यमी ज्ञापन दाखिल करेगा। तथापि, ऐसे स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं कि जिन उद्यमों ने इस अधिनियम के आरंभ से 180 दिनों के भीतर उद्यमी ज्ञापन दाखिल नहीं किया है, उन्हें उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं।

2. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के सेक्शन 31 के अंतर्गत केंद्र सरकार को किसी आदेश द्वारा ऐसी किसी कठिनाई को दूर करने का अधिकार दिया गया है जो इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में आ सकती है। हालांकि, सेक्शन 31 के प्रावधानों का आश्रय लेना आवश्यक नहीं भी हो सकता है क्योंकि सेक्शन 8(1) के प्रावधानों का निकट अध्ययन यह बताता है कि उद्धृत उद्यमों (जिनका प्लांट व मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 10 करोड़ रुपये तक हो) द्वारा उक्त ज्ञापन दाखिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जिन्हें ऐसा 2 अक्टूबर 2006 से 180 दिनों के भीतर करना था। ऐसा मामला होने के कारण, ऐसे उद्यमों को कम से कम अब ऐसा ज्ञापन दाखिल करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वास्तव में, राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से ऐसे उद्यमों को जल्द से जल्द ऐसे उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने के लिए सूचित करें। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006, प्रकृति में मददगार है, विनियामक नहीं।

3. संक्षेप में पूरा मामला निम्नलिखित है:

(i) सूक्ष्म व लघु उद्यमों तथा सेवा प्रदान करने वाले मध्यम उद्यमां के लिए उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने हेतु 2 अक्टूबर 2006 से 180 दिनों की कोई सीमा नहीं है। यह उनके लिए स्वैच्छिक है और ये उद्यम, जब भी वे चाहें, कभी भी उद्यमी ज्ञापन दाखिल कर सकते हैं।

(ii) इस पत्र के पैरा 1 में उल्लिखत उद्यम और जो 2 अक्टूबर 2006 से 180 दिनों के भीतर उद्यमी ज्ञापन दाखिल नहीं कर सके हैं, को ईएम दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 में उन्हें 180 दिनों के बाद ईएम दाखिल करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

(पी. के. सिन्हा)
उप निदेशक (एमएसएमई नीति)
दूरभाष : 011-23061544

प्रति,
सूची के अनुसार